न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– 391 / 2023

बाबूलाल **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 24.04.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
22.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थति। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एव इन्द्राज दुरस्ती पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 1057, 1091, 1092, 1105, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1291/1352, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1318, 1319, 935, 936 कुल किता 22 कुल रकबा 9.05 है0 मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी संख्या 1, 2 व 4 ता 6 के पिता व वादी संख्या 03 के पति स्व सीताराम पुत्र सालगा दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम सीताराम पुत्र मानाराम दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र सालगा के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि सीताराम पुत्र मानाराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि वादी संख्या 1, 2 व 4 ता 6 के पिता व वादी संख्या 03 के पति स्व सीताराम पुत्र सालगा एवं सीताराम पुत्र मानाराम एक ही व्यक्ति है। अतः वादी संख्या 1, 2 व 4 ता 6 के पिता व वादी संख्या 03 में सीताराम पुत्र मानाराम का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र मानाराम दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	